रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220701
CG-DL-E-27072020-220701

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2159]	**नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942**
No. 2159]	**NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942**

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

का.आ. 2446(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा गठित कृष्णा जल विवाद अधिकरण में न्यायाधीश बी.पी. दास के त्यागपत्र के परिणामस्वरुप एक पद रिक्त हुआ है।

और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 ए के अधीन उक्त रिक्त पद को भरने के लिए श्री एस.तलपात्रा, न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय को नामनिर्देशित किया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 ए के साथ धारा 4, पठित द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद को रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) न्यायाधीशश्री एस.तलपात्रा, - सदस्य" ।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम पर,

[फा.सं. N-57011(11)/1/2020-बीएम]

यू.पी. सिंह, सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, संख्यांक का.आ. 451(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 3009(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2012 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

S.O. 2446(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Krishna Water Disputes Tribunal, constituted by the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources vide notification number S.O. 451(E) dated the 2nd April, 2004, consequent on the resignation of Justice B.P. Das;

And whereas, the Chief Justice of India has nominated Mr. Justice S. Talapatra, Judge, Tripura High Court to fill the said vacancy under section 5A of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5A of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said notification, namely:-

In the said notification, for item (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) Shri Justice S. Talapatra
Judge of the High Court of Tripura - Member".

By Order and in the Name of the President of India,

[F.No. N-57011(11)/1/2020-BM]

U.P. SINGH, Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O.451(E), dated the 2nd April, 2004 and subsequently amended vide S.O.3009(E), dated the 27th December, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.07.27 20:59:06 +05'30'